न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा

सत्र परीक्षण संख्या– 327/16

राज्य प्रति नैन सिंह आदि

अ0सं0– 212/2016

धारा– 308 , 323,, 325 भा0दं0सं0

थाना– हसनपुर

जिला अमरोहा

आरोप

मैं, सुरेश चन्द–I, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय अमरोहा, आप अभियुक्तगण नैन सिंह व राजेन्द्र सिंह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

प्रथम– यह कि दिनांक 01.06.2016 को रात्री 00:00 बजे स्थान ग्राम डगरौली मललावाली थाना हसनपुर जिला अमरोहा पर वादी मुकदमा के भाई कैलाश, उसके भतीजे राजवीर व राजवीर की बहू अखिलेश को आप सभी ने मिलकर एक राय होकर लाठी डन्डों एवं सरिया एवं फावड़े से तावड तोड़ हमला करके चोटे पहुॅचायी। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप सभी द्वारा की गयी मारपीट से वादी मुकदमा के भाई, भतीजे व उसकी बहू के सिर में खुली एवं गम्भीर चोट आयी। जिस कारण आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 325/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के भाई व भतीजे व उसकी बहू को जो चोटें पहुॅचाई, उनमें से कुछ चोटें ऐसी पाई गयी जो वादी मुकदमा के जीवन के लिए घातक थी और यदि आपके द्वारा पहुॅचाई गयी इन चोटों से वादी के भाई, भतीजे व उसकी बहू की मृत्यु हो जाती तो आप सदोष मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 308/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा मैं आपको निर्देश देता हूॅ कि उक्त आरोप में इस न्यायालय द्वारा आपका विचारण किया जायेगा।

एस0डी0/–

दिनांकः 18.07.2017 सुरेश चन्द– ।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2

अमरोहा

उक्त आरोप मेरे द्वारा अभियुक्तगण को पढकर सुनाये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

एस0डी0/–

दिनांकः 18.07.2017 सुरेश चन्द– ।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. 2

अमरोहा

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी0सी.–2 अमरोहा
सत्र परीक्षण संख्या– 327/16
राज्य प्रति नैन सिंह आदि

आदेश

<u>दिनांक 18.07.2017–</u> पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण नैंन सिंह व राजेन्द्र सिंह अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आये। मैंने आरोप के निर्धारण के प्रश्न पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308/34, 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप निर्धारण किये जाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण नैन सिंह व राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 308/34, 323/34, 325/34 भा0दं0सं0 का आरोप निर्धारित किया जाता है।

एस0डी0/–

सुरेश चन्द
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–2,
अमरोहा